

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002**

No. F.3 (95)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/ 533

Dated: 07/07/21

Notification No. 50/2020– State Tax

No. F.3(95)/Fin.(Exp-IV)/2021-22/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the 01st day of April, 2020.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“Table

Sl. No.	Section under which composition levy is opted	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(1A)	(2)	(3)
1.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government.	half per cent of the turnover in the State or Union territory.
2.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent. of the turnover in the State or Union territory
3.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Any other supplier eligible for composition levy under sub-sections (1) and (2) of section 10	half per cent of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State or Union territory
4.	Sub-section (2A) of section 10	Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax	three per cent of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State or Union territory.’’.

		under sub-section (2A), of section 10.	
--	--	---	--

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

No. F.3 (95)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/ 533

Dated: 07/07/21

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV vide notification, dated the 22nd June, 2017, published vide No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended by notification No. 48/2020 – State Tax, dated the 28/05,2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(91)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/401, dated the 28/05/2021.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-IV) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 03(95)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV / 533

दिनांक: 07/07/2021

अधिसूचना संख्या 50/2020-राज्य कर

सं0फा0 03(95)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV / : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2020 है ।
(2) ये 01 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होंगे ।
- दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 7 में, तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"तालिका"

क्रम संख्या	धारा जिसके तहत संयुक्त उधग्रहण का विकल्प चुना गया है	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(1क)	(2)	(3)
1.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, भिन्न विनिर्माता	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का आधा फीसदी
2.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का ढाई फीसदी
3.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधों के अधीन संयुक्त उधग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी
4.	धारा 10 की उपधारा (2क)	पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त उधग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन धारा 10 के उप-धारा (2ए) के तहत कर संदाय का चयन करने के लिए पात्र हैं।	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का तीन फीसदी ।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)

उप सचिव-IV (वित्त)

सं0फा0 03(95)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV / 533

दिनांक: 07/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेब साईट।
12. गार्ड फाइल।

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)
उप सचिव-IV (वित्त)

टिप्पण: सं0फा0 03(10)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किये गए और सं0फा0 03(91)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV/401, तारीख 28/05/2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2020-राज्य कर, तारीख 28/05/2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।